बिहार विधान सभा सचिवालय से प्राप्त निवेदन	
श्री कुमार शैलन्द्र, मा०स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में प्राप्त निवेदन संख्या–**1838/2022** के संबंध में। क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	**माननीय मंत्री,** आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।
निवेदन	**उत्तर**
सरकार की बार–बार घोषणा होती है कि आपदा पीड़ितों का राज्य के खजाने पर पहला हक है लेकिन यह सरजमीं पर दिखता नहीं है। उदाहरण स्वरूप भागलपुर जिलान्तर्गत विहपुर प्रखंड के पूरी कट चुकी महादलित की वस्ती गोविंदपुर मुसहरी के वासी तथा हरियो पंचायत के कहारपुर के कट रहे नवटोलिया के भयभीत ग्रामीण विहपुर रेलवे स्टैशन के केबिन के पास रेलवे की जमीन पर बसे हैं। वहाँ से इन्हें सात दिनों के अंदर हटने का अल्टीमेटम प्रशासन द्वारा दिया गया है। एक तो इन लोगों पर नदी का कहर बरपा ही चुका है दूसरा प्रशासन भी कहर बरपाने ही वाला है। स्थानीय स्तर पर लोग गुहार लगा रहे हैं, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अतः नदी से कट चुके गोविंदपुर एवं नवटोलिया के पीड़ित परिवारों को पुनर्वास की व्यवस्था के बाद ही उन्हें हटाये जाने हेतु निवेदन करता हूँ।	जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बिहपुर प्रखण्ड के हरियों पंचायत अन्तर्गत गोविन्दपुर एवं कहारपुर के कुल 327 परिवार वर्ष 2019–20 में कोसी नदी के कटाव से विस्थापित हो गये, जिनमें से 130 परिवारों को बन्दोवस्ती पर्चा देकर बसा दिया गया है। शेष 197 परिवार मौजा गोविन्दपुर, थाना नं0–22/23, खाता नं0–198, खेसरा नं0–571, 572 एवं 573 के कुल रकवा–20 एकड़ 31 डी० मे से 600 डी० पर 05–06 वर्षों से बसे हुए हैं, जो भारत सरकार की भूमि है। उक्त भूमि का बन्दोवस्ती पर्चा लेने के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि उक्त भूमि कोशी नदी से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है, जो 2–3 साल आते–आते कोशी नदी में कटकर विलीन हो जायेगा। इन परिवारों के द्वारा लिखित मे आवेदन दिया गया है कि "वे उक्त भूमि का पर्चा नहीं लेंगें हमें दूसरी भूमि पर एकसाथ बसाया जाय"। एकसाथ बसाने हेतु 06 एकड़ सरकारी भूमि एक स्थान पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में इन 197 परिवारों को उनकी इच्छा के विरूद्ध बन्दोवस्त करने में कठिनाई हो रही है।

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–07/वि0स0–निवेदन–11/2022/...../आ0प्र0 **पटना–23, दिनांक**–

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव/अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक–2 नि०–1838/2022–290/वि०स० दिनांक–21.07.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(मो० नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–07/वि0स0–निवेदन–11/2022/2952/आ0प्र0 **पटना–23, दिनांक**– 14.08.2025

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/8
सरकार के संयुक्त सचिव